सत्यमेव जयते

कुलाधिपति
Chancellor

राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान........विश्वविद्यालय,
...................................University,
राज भवन, जयपुर – 302006
Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांक : एफ.37(2)आरबी/2024/4621
दिनांक : 10 अगस्त, 2024

आदेश

राजभवन के आदेश क्रमांक 3501–3502 दिनांक 06.08.2021 के माध्यम से डॉ. सतीश कुमार गर्ग को राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 (यथा संशोधित) की धारा 24(1) व 24(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर का कुलपति नियुक्त किया गया था।

डॉ. सतीश कुमार गर्ग द्वारा दिनांक 09.08.2021 को मध्याह्न पश्चात् में कार्यभार ग्रहण किया गया। इनका कुलपति पद का तीन वर्ष का कार्यकाल दिनांक 09.08.2024 को पूर्ण हो गया है।

उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम, 2010 (यथा संशोधित) की धारा 24(1) के अनुसार नियमित कुलपति की नियुक्ति में समय लगने की संभावना है।

अतः मैं, हरिभाऊ बागडे, राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम, 2010 (यथा संशोधित) की धारा 24(6) व 24(7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की सलाह से प्रो. मनोज दीक्षित, कुलपति, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर को अग्रिम आदेशों अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, कामचलाऊ व्यवस्था (Stop gap arrangement) अन्तर्गत अतिरिक्त प्रभार के रूप में राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के कुलपति पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित करता हूँ।

हस्ता0
(हरिभाऊ बागडे)
राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

क्रमांक : एफ.37(2)आरबी / 2024 / 4622

दिनांक : 10 अगस्त, 2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. प्रो. मनोज दीक्षित, कुलपति, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
5. कुलसचिव, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर।
6. कुलसचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।

10/08/24

सचिव,

राज्यपाल, राजस्थान